भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2009

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

पीएम विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन

2009. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अपनी हाल की बैठकों में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों अथवा नीतिगत परिवर्तनों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शाखा स्तर पर अस्वीकृत ऋण आवेदनों को आगे बढ़ाने और उनकी समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है और जिन आवेदकों के ऋण आवेदन शुरू में अस्वीकृत कर दिए गए थे, उन्हें पुनः शामिल करने और सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत तीन सत्यापन चरणों में आवेदन सत्यापन और अनुमोदन के लिए निर्धारित की गई विशिष्ट समय-सीमा क्या है और क्या सरकार ने उस चरण की पहचान की है जहां विलंब सबसे अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कारीगरों को बाजार पहुंच के बाद कोई सहायता प्रदान करती है, जिससे शहरी और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ उनके लिंक बनाए रखने और उन्हें मज़बूत करने में मदद मिलती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी), पीएम विश्वकर्मा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए शीर्षस्थ निकाय है। राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की बैठकों की सह-अध्यक्षता सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई); सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय तथा सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा की जाती है। एनएससी की पिछली बैठक दिनांक 10.10.2025 को आयोजित की गई थी जिसमें कई प्रस्तावों और नीतिगत उपायों को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिनमें अन्यों के साथ-साथ उन्नत कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्रता मानदंड, ऋण संबंधी संस्वीकृतियों और संवितरण से जुड़ी कार्यप्रणालियों में सुधार लाने संबंधी उपाय जैसे लंबित आवेदनों पर पुनर्विचार, ईएमआई के बोझ को अत्यधिक कम करने हेतु 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक के छोटे ऋणों की पेशकश करना, मार्च 2026 तक 716 जिलों में संस्वीकृत जागरुकता कैंपों में बैंकों की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा वित्तीय सलाह हेतु कौशल प्रशिक्षण के दौरान एक-दिवसीय कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर बैंक कार्मिकों की उपस्थिति की अनिवार्यता शामिल है।

(ख) : जी, हां। शाखा स्तर पर अस्वीकृत ऋण आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने और उनकी समीक्षा करने हेतु कार्यतंत्र विद्यमान है। उच्च अस्वीकृति दरों का समाधान करने के उद्देश्य से वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने से मना करने वाले लाभार्थियों से एक लिखित वचनपत्र प्राप्त करने हेतु बैंकों को एक सलाह-पत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को प्रशासनिक कार्यालय स्तर पर समितियां गठित करने का भी निदेश दिया गया है ताकि लाभार्थियों की अनुपलब्धता तथा उनके द्वारा ऋण प्राप्त करने से मना किए जाने के कारण अस्वीकृत मामलों की समीक्षा की जा सके और उन मामलों पर पुनर्विचार किया जा सके। इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय ऋण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की अधिकतम संख्या तक पहुंचने का प्रयास करके पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत ऋण अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। पीएम विश्वकर्मा के ऐसे लाभार्थियों को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में टेक्स्ट संदेश भेजे जा रहे है और एमएसएमई मंत्रालय के कॉल सेंटर तथा विभिन्न बैंकों से कॉल्स की जा रही है जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया है और जिन तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पा रहा है अथवा जिन्होंने आवेदन के पश्चात ऋण प्राप्त करने से मना कर दिया है। साथ ही, वे लाभार्थी जिन्होंने प्रारंभ में ऋण प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया था, वे भी नजदीकी सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी) अथवा स्वयं विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ग) : आवेदनों का तीन चरणों में सत्यापन किया जाता है जिनमें (i) ग्राम पंचायत शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर सत्यापन, (ii) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कार्यान्वयन समिति (डीआईसी) द्वारा सत्यापन (विधीक्षा और अनुशंसा), (iii) एमएसएमई-विकास कार्यालय (एमएसएमई-डीएफओ) के एक अधिकारी की अध्यक्षता, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र स्तर के बैंकरों की समिति (एसएलबीसी) के सदस्य तथा एमएसडीई के एक सदस्य वाली जांच समिति द्वारा दिया जाने वाला अनुमोदन शामिल है। 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक) की अवधि के लिए अनुमोदित 30 लाख लाभार्थियों की कवरेज की तुलना में 30 लाख कारीगरों/शिल्पकारों के सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया इस स्कीम के अंतर्गत सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है ताकि आगे के लाभ जैसे कौशल प्रशिक्षण, ऋण, टूलकिट प्रोत्साहन विपणन सहायता आदि पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा स्कीम की समय-सीमा के भीतर प्रदान किए जा सकें।

(घ) और (ङ) : इस स्कीम के अंतर्गत, देशभर में पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को व्यापार मेलों, राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में सहभागिता आदि सहित विपणन सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे अपने हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें, उन्हें डिस्प्ले कर सकें और उनकी बिक्री कर सकें। साथ ही, विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों जैसे ओएनडीसी, फेब इंडिया, मिशो, जेम आदि के जरिए पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को ऑनलाइन विपणन सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ा सकें। कारीगरों के लिए बाजार से जुड़ाव, उत्पादों के डिस्प्ले और उनकी बिक्री, बी2बी/बी2सी संलग्नता और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों के लिए दिल्ली हाट में राष्ट्र स्तर के व्यापार मेले/प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), ग्रामीण प्रबंधन आनंद संस्थान (आईआरएमए) के जरिए डिजाइनिंग, ब्रांडों की विविधता और पैकेजिंग आदि के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा के उत्पादों का मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है। साथ ही, पीएम विश्वकर्मा उत्पादों की बिक्री से जुड़े विशिष्ट विक्रय स्थलों के सुनिश्चयन हेतु एमएसएमई मंत्रालय निकट भविष्य में देशभर में प्रमुख शहरों में पीएम विश्वकर्मा इम्पोरियम/हाट स्थापित करने जा रहा है।

*****